

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1184  
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों को सहायता

1184. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में मत्स्यपालन हितधारकों ने कहा है कि विदेशी जहाजों का अनियंत्रित संचालन देश और उसके मछुआरा समुदाय के समुद्री संसाधनों को नष्ट कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि मशीनों से मछली पकड़ने से वैश्विक समुद्री मत्स्यपालन संसाधन गंभीर रूप से नष्ट हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि राज्य के मछुआरों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित किया जाए, क्योंकि उनके पास गहरे पानी में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने की विशेषज्ञता और अनुभव है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री  
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

- (क) भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना को मैरिटाइम ज़ोन्स ऑफ इंडिया (रेगुलेशन ऑफ फिशिंग बाई फ़ॉरेन वेसल्स) एक्ट, 1981 के तहत भारत के समुद्री क्षेत्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगे विदेशी डीप सी फिशिंग वेसल्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। तटरक्षक बल ने सूचित किया है कि 2022 से 2024 (25.07.2024 तक) के दौरान केरल तट के इर्द गिर्द भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र/एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन ऑफ इंडिया (ईईजेड) में 19 फ़ॉरेन फिशिंग वेसल्स को पकड़ा गया है।
- (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की विश्व मात्स्यिकी एवं जल कृषि की रिपोर्ट (2024) के अनुसार, जैविक रूप से टिकाऊ (ससटेनेबल) अवस्था के समुद्री मत्स्य स्टॉक का अंश (फ़ेकशन) लगातार घट रहा है, जो 2021 में घटकर 62.3 प्रतिशत हो गया, यानी 2019 की तुलना में 2.3 प्रतिशत कम है। हालांकि, आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशेरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) द्वारा प्रकाशित मरीन फिश स्टॉक स्टेटस ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय समुद्र में मत्स्य स्टॉक की स्थिति ठीक है और 2022 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन द्वारा पता चला है कि 135 मत्स्य स्टॉक में से 91.1 प्रतिशत ससटेनेबल है।
- (ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, मछुआरों के कल्याण के साथ साथ मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पीएमएमएसवाई) को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमएसवाई के तहत विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल सरकार के 1107.68 करोड़ रुपए के मत्स्य विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 447.65 करोड़ रु/- केंद्रीय अंश है। इन प्रस्तावों में पारंपरिक मछुआरों को डीप सी फिशिंग वेसल्स का अधिग्रहण और निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसल्स को अपग्रेड करने के लिए सहायता शामिल है।